राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक F4(201) / रालसा / विशेष–सचिव / एनएलए–IV / 2022 / 26710 दिनांकः 11·10·22

प्रेषिति–

1. स्टेट हैड, समस्त राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंक, राजस्थान।
2. स्टेट हैड, समस्त निजी वित्तीय संस्थान, राजस्थान।

विषय–दिनांक 12.11.2022 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा** के निर्देशानुसार **वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022 (द्वितीय शनिवार)** को **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,** सभी अधीनस्थ न्यायालयों (राजस्व न्यायालयों सहित) एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 2017 की धारा 2(aaa) के तहत परिभाषित न्यायालयों, अधिकरणों व अन्य समस्त फोरम में ऑफलाईन व ऑनलाईन माध्यम से लम्बित एवं प्री लिटिगेशन मामलों के लिए आयोजित की जायेगी।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किए गए दिशा निर्देशानुसार अनुरोध है कि आप सभी संबंधित सक्षम अधिकारियों को यह निर्देशित करें कि वे –

1. लोक अदालत में निस्तारित होने योग्य सभी उपयुक्त प्रकरणों को अपने स्तर पर चिन्हित करवाकर प्रकरणों की सूची संबंधित न्यायालय / अधिकरण / फोरम / आयोग / अथॉरिटी / बोर्ड / प्राधिकारी, जहाँ प्रकरण लम्बित है, प्रस्तुत करें एवं संबंधित से अनुरोध करें कि उपयुक्त प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस जारी कर इन्हें लोक अदालत को रैफर करें।
2. सभी संबंधित सक्षम अधिकारियों को एक सुनियोजित कार्य योजना बनाकर पूर्ण तैयारी के साथ लोक अदालत की कार्यवाही में भाग लेने तथा अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु समुचित निर्देश प्रदान करें।
3. सभी शाखा प्रबंधकों को यह निर्देशित करावें कि धन वसूली के सिविल मामलो एवं धारा 138 एन.आई. एक्ट के फौजदारी मामलों के लिए दिनांक 17.10.2022 से 21.10.2022 तक एवं दिनांक 31.10.2022 से 05.11.2022 तक आयोजित किए जाने वाले विशेष प्री–काउंसलिंग शिविर में अपना पूर्ण सहयोग देवें एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करावें।

4. उक्त विशेष प्री–काउंसलिंग कैम्प के संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो (as the case may be), द्वारा चिन्हित किसी कक्ष या अन्य उपयुक्त स्थान पर आयोजित किया जावेगा।
5. उपरोक्त प्री–काउंसलिंग के दौरान प्रत्येक बैंक एवं वित्तीय संस्थान द्वारा यथा चिन्हित कक्ष में या चिन्हित खुले स्थान पर टेंट / कैनोपी लगाकर काउंटर स्थापित कर समझौते के प्रयास किए जाएंगे।
6. उपरोक्त प्री–काउंसलिंग के लिए संबंधित बैंक / वित्तीय संस्थान के सक्षम एवं अधिकृत कार्मिक न्यायालय विशेष में लम्बित या उस न्यायालय विशेष के क्षेत्राधिकार के प्री–लिटिगेशन के मामलों से संबंधित बैंक का समस्त रिकॉर्ड साथ लेकर उपस्थित रहेंगे। ऐसी प्री–काउंसलिंग के लिए प्री–लिटिगेशन मामलों में पक्षकारान पर नोटिस की तामील संबंधित बैंक द्वारा ही अपने स्तर पर करवायी जावेगी, सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा नहीं करायी जावेगी।
7. उपरोक्त प्री–काउंसलिंग के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा, जैसी भी स्थिति हो (as the case may be), सुलह वार्ता में सहयोग के लिए आवश्यकतानुसार सेवारत–सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, सेवारत–सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, प्रशिक्षित अधिवक्ता मध्यस्थ, स्थानीय अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापार संगठन के प्रतिनिधि, स्थानीय लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि की सेवाएं उपलब्ध करायी जावेंगी।
8. धारा 138 एन. आई. एक्ट के 10 लाख तक की चैक राशि के मामलों एवं बैंक के ऋण वसूली संबंधी **लम्बित एवं प्री–लिटिगेशन** के, दोनों ही प्रकार के, मामलों में **डोर–स्टेप काउंसलिंग** संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण / तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर दिनांक 16.10.2022 एवं 06.11.2022 को एवं ऐसे पंचायत मुख्यालय, जो कि तहसील अथवा उप–तहसील मुख्यालय भी है, पर दिनांक 30.10.2022 एवं 08.11.2022 को आयोजित की जाएगी।
9. इस हेतु सभी संबंधित सक्षम अधिकारियों को यह निर्देशित करावें कि संबंधित पंचायत समिति / पंचायत मुख्यालय की क्षेत्राधिकारिता के तहत आने वाले मामलों की सूची नियत तिथि से युक्तियुक्त समय पूर्व संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तालुका विधिक सेवा समिति को उपलब्ध करावें, जिससे कि संबंधित पक्षकारान को विहित समय में नोटिस तामील करवायी जा सके। साथ ही संबंधित शाखा अधिकारी को यह निर्देशित करावें कि वह डोर–स्टेप काउंसलिंग हेतु नियत तिथि को संबंधित मामलों का सम्पूर्ण रिकॉर्ड लेकर उपस्थित आवे, यदि किसी कारणवश शाखा अधिकारी उपस्थित नहीं हो सके तो सक्षम प्राधिकारिता वाले अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति मय रिकॉर्ड सुनिश्चित करें।

10. ऐसी डोर–स्टेप काउंसलिंग के लिए दो सदस्यीय पैनल बनाया जाएगा, जिसमें एक सदस्य संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान की स्थानीय शाखा का सक्षम अधिकारी होगा एवं द्वितीय सदस्य संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा नामित किया जाएगा।

11. प्रत्येक बैंकिंग/वित्तीय संस्थान द्वारा अपनी ऋण वितरण योजना, एकमुश्त समझौता योजना (One Time Settlement Scheme), बैंक खाते खोलने संबंधी योजना एवं अन्य योजनाओं के प्रमोशन के लिए तथा बकाया राशि की वसूली कार्यवाही अमल में लाए जाने या मुकदमा दायर किए जाने से पूर्व बकाया ऋण की वसूली के प्रयासों के तहत कैम्प का आयोजन किया जावे। कैम्प के आयोजन में सहयोग के लिए अखिल भारतीय बैंक अधिवक्ता विधि संगम ट्रस्ट/स्थानीय जनप्रतिनिधियों की आवश्यकतानुसार प्रो–बोनो सेवाएं ली जा सकेंगी। अखिल भारतीय बैंक अधिवक्ता विधि संगम ट्रस्ट के पदाधिकारियों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है–

अखिल भारतीय बैंक अधिवक्ता विधि संगम ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सूची		
चेयरमैन	श्री ओ.पी. त्रिपाठी	मो. नम्बरः 9460956419, 8559875266
मैनेजिंग डायरेक्टर	श्री टी.पी. पाण्डेय	मे. नम्बरः 9414024437

12. विशेष रूप से यह निर्देश भी जारी किए जावे कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने के लिए अधिकाधिक प्रचार–प्रसार/जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से बैंक/वित्तीय संस्थान की प्रत्येक शाखा में एवं शाखा क्षेत्र में सहज दृश्य स्थानों पर समुचित मात्रा में (न्यूनतम 05) बैनर/होर्डिंग्स/फ्लेक्स/पोस्टर, आदि प्रदर्शित किए जावें।

अतः अनुरोध है कि, आप राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अधिकाधिक प्रकरणों/विवादों को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देश **LEG.BC114/09.06.002/2000-01 dated 02.05.2001 and No. RBI/2004-05/95 DBOD, No. LEG.BC/21/09.06.002/ 2004-05 dated 03.08.2004** एवं योजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र **F.25(13)Planning/IF/2018 Jaipur, dated 09.11.2021** के अनुक्रम में, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करावें एवं इस सम्बन्ध में अमल में लाई गई कार्यवाहियों के प्रतिवेदन एवं जारी किये गये आदेशों/दिशा–निर्देशों की प्रतियां इस कार्यालय को भी भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय

(दिनेश कुमार गुप्ता)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर

वर्ष – 2022
चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक F4(201) / रालसा / विशेष–सचिव / एनएलए–IV / 2022 / 26712 दिनांकः 11.10.2022

प्रेषिति–

महाप्रबंधक,
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,
जयपुर।

विषय–दिनांक 12.11.2022 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के कम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि **माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा** के निर्देशानुसार **वर्ष 2022** की **चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022 (द्वितीय शनिवार)** को **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय**, सभी अधीनस्थ न्यायालयों (राजस्व न्यायालयों सहित) एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 2017 की धारा 2(aaa) के तहत परिभाषित न्यायालयों, अधिकरणों व अन्य समस्त फोरम में ऑफलाईन व ऑनलाईन माध्यम से लम्बित एवं प्री लिटिगेशन मामलों के लिए आयोजित की जायेगी।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किए गए दिशा निर्देशानुसार अनुरोध है कि आप सभी संबंधित सक्षम अधिकारियों को यह निर्देशित करें कि वे –

1. लोक अदालत में निस्तारित होने योग्य सभी उपयुक्त प्रकरणों को अपने स्तर पर चिन्हित करवाकर प्रकरणों की सूची संबंधित न्यायालय / अधिकरण / फोरम / आयोग / अथॉरिटी / बोर्ड / प्राधिकारी, जहाँ प्रकरण लम्बित है, प्रस्तुत करें एवं संबंधित से अनुरोध करें कि उपयुक्त प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस जारी कर इन्हें लोक अदालत को रैफर करें।
2. सभी संबंधित सक्षम अधिकारियों को एक सुनियोजित कार्य योजना बनाकर पूर्ण तैयारी के साथ लोक अदालत की कार्यवाही में भाग लेने तथा अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु समुचित निर्देश प्रदान करें।
3. सभी शाखा प्रबंधकों को यह निर्देशित करावें कि धन वसूली के सिविल मामलो एवं धारा 138 एन.आई. एक्ट के फौजदारी मामलों के लिए दिनांक 17.10.2022 से 21.10.2022 तक एवं दिनांक 31.10.2022 से 05.11.2022 तक आयोजित किए जाने वाले विशेष प्री–काउंसलिंग शिविर में अपना पूर्ण सहयोग देवें एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करावें।

4. उक्त विशेष प्री–काउंसलिंग कैम्प के संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति, जैसी भी स्थिति हो (as the case may be), द्वारा चिन्हित किसी कक्ष या अन्य उपयुक्त स्थान पर आयोजित किया जावेगा।

5. उपरोक्त प्री–काउंसलिंग के दौरान प्रत्येक बैंक एवं वित्तीय संस्थान द्वारा यथा चिन्हित कक्ष में या चिन्हित खुले स्थान पर टेंट / कैनोपी लगाकर काउंटर स्थापित कर समझौते के प्रयास किए जाएंगे।

6. उपरोक्त प्री–काउंसलिंग के लिए संबंधित बैंक / वित्तीय संस्थान के सक्षम एवं अधिकृत कार्मिक न्यायालय विशेष में लम्बित या उस न्यायालय विशेष के क्षेत्राधिकार के प्री–लिटिगेशन के मामलों से संबंधित बैंक का समस्त रिकॉर्ड साथ लेकर उपस्थित रहेंगे। ऐसी प्री–काउंसलिंग के लिए प्री–लिटिगेशन मामलों में पक्षकारान पर नोटिस की तामील संबंधित बैंक द्वारा ही अपने स्तर पर करवायी जावेगी, सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा नहीं करायी जावेगी।

7. उपरोक्त प्री–काउंसलिंग के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा, जैसी भी स्थिति हो (as the case may be), सुलह वार्ता में सहयोग के लिए आवश्यकतानुसार सेवारत–सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, सेवारत–सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, प्रशिक्षित अधिवक्ता मध्यस्थ, स्थानीय अधिवक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापार संगठन के प्रतिनिधि, स्थानीय लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि की सेवाएं उपलब्ध करायी जावेंगी।

8. धारा 138 एन. आई. एक्ट के 10 लाख तक की चैक राशि के मामलों एवं बैंक के ऋण वसूली संबंधी **लम्बित एवं प्री–लिटिगेशन** के, दोनों ही प्रकार के, मामलों में **डोर–स्टेप काउंसलिंग** संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण / तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर दिनांक 16.10.2022 एवं 06.11.2022 को एवं ऐसे पंचायत मुख्यालय, जो कि तहसील अथवा उप–तहसील मुख्यालय भी है, पर दिनांक 30.10.2022 एवं 08.11.2022 को आयोजित की जाएगी।

9. इस हेतु सभी संबंधित सक्षम अधिकारियों को यह निर्देशित करावें कि संबंधित पंचायत समिति / पंचायत मुख्यालय की क्षेत्राधिकारिता के तहत आने वाले मामलों की सूची नियत तिथि से युक्तियुक्त समय पूर्व संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तालुका विधिक सेवा समिति को उपलब्ध करावें, जिससे कि संबंधित पक्षकारान को विहित समय में नोटिस तामील करवायी जा सके। साथ ही संबंधित शाखा अधिकारी को यह निर्देशित करावें कि वह डोर–स्टेप काउंसलिंग हेतु नियत तिथि को संबंधित मामलों का सम्पूर्ण रिकॉर्ड लेकर उपस्थित आवे, यदि किसी कारणवश शाखा अधिकारी उपस्थित नहीं हो सके तो सक्षम प्राधिकारिता वाले अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति मय रिकॉर्ड सुनिश्चित करें।

10. ऐसी डोर–स्टेप काउंसलिंग के लिए दो सदस्यीय पैनल बनाया जाएगा, जिसमें एक सदस्य संबंधित बैंक / वित्तीय संस्थान की स्थानीय शाखा का सक्षम अधिकारी होगा एवं द्वितीय सदस्य संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण / तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा नामित किया जाएगा।

11. प्रत्येक बैंकिंग / वित्तीय संस्थान द्वारा अपनी ऋण वितरण योजना, एकमुश्त समझौता योजना (One Time Settlement Scheme), बैंक खाते खोलने संबंधी योजना एवं अन्य योजनाओं के प्रमोशन के लिए तथा बकाया राशि की वसूली कार्यवाही अमल में लाए जाने या मुकदमा दायर किए जाने से पूर्व बकाया ऋण की वसूली के प्रयासों के तहत कैम्प का आयोजन किया जावे। कैम्प के आयोजन में सहयोग के लिए अखिल भारतीय बैंक अधिवक्ता विधि संगम ट्रस्ट / स्थानीय जनप्रतिनिधियों की आवश्यकतानुसार प्रो–बोनो सेवाएं ली जा सकेंगी। अखिल भारतीय बैंक अधिवक्ता विधि संगम ट्रस्ट के पदाधिकारियों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है–

अखिल भारतीय बैंक अधिवक्ता विधि संगम ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सूची		
चेयरमैन	श्री ओ.पी. त्रिपाठी	मो. नम्बरः 9460956419, 8559875266
मैनेजिंग डायरेक्टर	श्री टी.पी. पाण्डेय	मे. नम्बरः 9414024437

12. विशेष रूप से यह निर्देश भी जारी किए जावे कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने के लिए अधिकाधिक प्रचार–प्रसार / जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से बैंक / वित्तीय संस्थान की प्रत्येक शाखा में एवं शाखा क्षेत्र में सहज दृश्य स्थानों पर समुचित मात्रा में (न्यूनतम 05) बैनर / होर्डिंग्स / फ्लेक्स / पोस्टर, आदि प्रदर्शित किए जावें।

अतः अनुरोध है कि, आप राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अधिकाधिक प्रकरणों / विवादों को, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देश **LEG.BC114/09.06.002/2000-01 dated 02.05.2001 and No. RBI/2004-05/95 DBOD, No. LEG.BC/21/09.06.002/ 2004-05 dated 03.08.2004** एवं योजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र **F.25(13)Planning/IF/2018 Jaipur, dated 09.11.2021** के अनुक्रम में, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करावें एवं इस सम्बन्ध में अमल में लाई गई कार्यवाहियों के प्रतिवेदन एवं जारी किये गये आदेशों / दिशा–निर्देशों की प्रतियां इस कार्यालय को भी भिजवाने का कष्ट करें।

सादर,

भवदीय

संलग्नः विस्तृत दिशा–निर्देश।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक F4(201) / रालसा / विशेष–सचिव / एनएलए-IV / 2022 / 26953 दिनांकः 11.10.2022

प्रेषिति–

प्रमुख शासन सचिव,
श्रम विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय– दिनांक 12.11.2022 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि **माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण**, नई दिल्ली **एवं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा** के निर्देशानुसार **वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022 (द्वितीय शनिवार)** को **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,** सभी अधीनस्थ न्यायालयों (राजस्व न्यायालयों सहित) में ऑफलाईन व ऑनलाईन माध्यम से लम्बित एवं प्री लिटिगेशन मामलों के लिए आयोजित की जायेगी।

यहां यह उल्लेखनीय है कि ''कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम'' से संबंधित मामले लम्बे समय तक विचारण की प्रक्रिया में ही उलझे रहते हैं, जबकि ऐसे मामलों की प्रकृति तथा पीड़ित पक्षकारों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे मामलों का लंबे समय तक लंबित रहना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। विशेषतः जबकि ऐसे मामलों में अधिकांशतः पीड़ित / याची समाज के कमजोर वर्ग; विशेष रूप से अनुसूचित जाति / जनजाति समुदाय के सदस्य होते हैं।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किए गए दिशा निर्देशानुसार अनुरोध है कि संबंधित को निम्नानुसार निर्देशित करें कि वे–

1. उक्त प्रकृति के मामलों के प्रभावी निस्तारण हेतु डोर–स्टेप काउंसलिंग कैम्पों का आयोजन कर उनमें आमजन की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करें।
2. श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के पंजीकरण के लिए / पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का मौके पर ही लाभ प्रदान करें।
3. लंबित मामलों में से राजीनामा योग्य मामले चिन्हित किये जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर किए जाने सुनिश्चित करें।

आदर सहित,

भवदीय

(दिनेश कुमार गुप्ता)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांक F4(201) / रालसा / विशेष–सचिव / एनएलए-IV / 2022 / 26954-27092 दिनांकः 11.10.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।

विशेष सचिव

वर्ष – 2022
राष्ट्रीय लोक अदालत

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक: F4(201) / रालसा / विशेष–सचिव / एनएलए-IV / 2022 / 27093 दिनांक: 11.10.2022

प्रेषिति:

प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग,
राजस्थान सरकार

विषयः दिनांक 12.11.2022 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में डोर–स्टेप काउंसलिंग में संबंधित को प्रो–बोनो भाग लेने हेतु निर्देशित किए जाने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि **माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण**, नई दिल्ली एवं **माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा** के निर्देशानुसार **वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022 (द्वितीय शनिवार)** को **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय**, सभी अधीनस्थ न्यायालयों (राजस्व न्यायालयों सहित) में ऑफलाईन व ऑनलाईन माध्यम से लम्बित एवं प्री लिटिगेशन मामलों के लिए आयोजित की जायेगी।

इस संबंध में राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु डोर–स्टेप काउंसलिंग कैम्प का आयोजन किया जाना है जो प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर दिनांक 16.10.2022 एवं 06.11.2022 को तथा प्रत्येक पंचायत मुख्यालय, जो तहसील या उपतहसील मुख्यालय भी हैं, पर दिनांक 30.10.2022 व 08.11.2022 को किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त डोर–स्टेप काउंसलिंग कैम्प में सदस्य के रूप में स्थानीय निर्वाचित जन–प्रतिनिधिगण / सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रो–बोनो भाग लिया जाना है।

अतः आप से निवेदन है कि संबंधित के डोर–स्टेप काउंसलिंग कैम्प में प्रो–बोनो भाग लिए जाने बाबत् आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करते हुए एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(दिनेश कुमार गुप्ता)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः F4(201)/रालसा/विशेष–सचिव/एनएलए-IV/2022/27094 दिनांकः 11.10.2022

प्रेषितिः

प्रमुख शासन सचिव,
राजस्व विभाग,
राजस्थान सरकार।

विषयः दिनांक 12.11.2022 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में डोर–स्टेप काउंसलिंग में संबंधित को प्रो–बोनो भाग लेने हेतु निर्देशित किए जाने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि **माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण**, नई दिल्ली **एवं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा** के निर्देशानुसार **वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022 (द्वितीय शनिवार)** को **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,** सभी अधीनस्थ न्यायालयों (राजस्व न्यायालयों सहित) में ऑफलाईन व ऑनलाईन माध्यम से लम्बित एवं प्री लिटिगेशन मामलों के लिए आयोजित की जायेगी।

इस संबंध में राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु डोर–स्टेप काउंसलिंग कैम्प का आयोजन किया जाना है जो प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर दिनांक 16.10.2022 एवं 06.11.2022 को तथा प्रत्येक पंचायत मुख्यालय, जो तहसील या उपतहसील मुख्यालय भी हैं, पर दिनांक 30.10.2022 व 08.11.2022 को किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त डोर–स्टेप काउंसलिंग कैम्प में सदस्य के रूप में स्थानीय राजस्व अधिकारी द्वारा प्रो–बोनो भाग लिया जाना है।

अतः आप संबंधित राजस्व अधिकारी के डोर–स्टेप काउंसलिंग कैम्प में प्रो–बोनो भाग लिए जाने बाबत् आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करते हुए एक प्रति इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(दिनेश कुमार गुप्ता)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः F4(201)/रालसा/विशेष–सचिव/एनएलए-IV/2022/27095 दिनांकः 11.10.2022

प्रेषितिः

रजिस्ट्रार जनरल,
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

विषयः दिनांक 12.11.2022 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में डोर–स्टेप काउंसलिंग में संबंधित को प्रो–बोनो भाग लेने हेतु निर्देशित किए जाने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि **माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण**, नई दिल्ली **एवं माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा** के निर्देशानुसार **वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022 (द्वितीय शनिवार)** को **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय**, सभी अधीनस्थ न्यायालयों (राजस्व न्यायालयों सहित) में ऑफलाईन व ऑनलाईन माध्यम से लम्बित एवं प्री लिटिगेशन मामलों के लिए आयोजित की जायेगी।

इस संबंध में राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु डोर–स्टेप काउंसलिंग कैम्प का आयोजन किया जाना है जो प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर दिनांक 16.10.2022 एवं 06.11.2022 को तथा प्रत्येक पंचायत मुख्यालय, जो तहसील या उपतहसील मुख्यालय भी हैं, पर दिनांक 30.10.2022 व 08.11.2022 को किया जाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त डोर–स्टेप काउंसलिंग कैम्प में संबंधित क्षेत्राधिकार वाले नगर–निगम मजिस्ट्रेट/मोबाइल मजिस्ट्रेट/ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी द्वारा प्रो–बोनो भाग लिया जाना है।

अतः आप से निवेदन है कि संबंधित अधिकारीगण को डोर–स्टेप काउंसलिंग कैम्प में प्रो–बोनो भाग लिए जाने बाबत् निर्देश जारी करावें।

भवदीय

(दिनेश कुमार गुप्ता)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर